

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

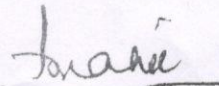
परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून में ग्रामसभा रैनापूर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online File No - FP/UK/ROAD/20937/2016)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु देहरादून वन प्रभाग में (बड़कोट रेंज कक्षसंख्या 4 ए एवं 4 बी) 0.6 हे० आरक्षित वन भूमि, का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः देहरादून में ग्रामसभा रैनापूर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम:


(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

तिथि : 31 / 12 / 2018

स्थान : देहरादून